भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 321

02 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: धान की उत्पादकता

321. श्री प्रद्युत बोरदोलोईः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान वर्ष के लिए धान और अन्य प्रमुख फसलों की उत्पादकता (किलोग्राम/हेक्टेयर) संबंधी आंकड़ों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को पूर्वोत्तर में धान की उत्पादकता संबंधी बड़े अंतर-राज्यीय अंतर की जानकारी है;

(ग) यदि हाँ, तो धान की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो राज्यों की धान उत्पादकता पर अध्ययन न कराने के क्या कारण हैं; और

(घ) कम प्रदर्शन करने वाले पूर्वोत्तर राज्यों में पैदावार बढ़ाने के लिए लक्षित उपायों (जैसे बीज/किस्म संबंधी कार्यक्रम, विस्तार सेवाएँ, सिंचाई, सूक्ष्म पोषक तत्व/मृदा देखभाल और जलवायु-स्मार्ट कार्य) और राज्य-विशिष्ट हस्तक्षेपों का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अपेक्षित समय-सीमा क्या है और कितना बजटीय आवंटन किया गया है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): वर्ष 2024-25 के लिए धान (चावल के संदर्भ में) और अन्य प्रमुख फसलों की उत्पादकता पर राज्यवार आंकड़ों का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख) से (घ): कृषि उत्पादकता कई कारकों से प्रभावित होती है, जिसमें मिट्टी की स्थिति, सिंचाई का स्तर, मौसम, वर्षा और तापमान परिदृश्य, भूमि जोत का आकार, उपयोग किए जा रहे बीजों के प्रकार, खाद/उर्वरक का उपयोग, कृषि पद्धतियां आदि शामिल हैं। ये कारक फसलों की उत्पादकता में अंतर-राज्यीय भिन्नता में योगदान देते हैं। इस संबंध में, राज्य सरकार के प्रयासों में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहयोग किया जा रहा है, जिसमें केन्द्रीय क्षेत्र के साथ-साथ केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं और कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इन योजनाओं में ऋण, बीमा, आय सहायता, इंफ्रास्ट्रक्चर, फसलें (बागवानी सहित), बीज, कृषि मशीनीकरण, उपज

मार्केटिंग, जैविक और प्राकृतिक खेती, सिंचाई, विस्तार सेवाएं, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीद, डिजिटल कृषि (डिजिटल फसल सर्वेक्षण सहित) आदि सहित कृषि के संपूर्ण स्पेक्ट्रम को शामिल किया गया है। कृषि उत्पादकता से संबंधित प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार दिया गया है:

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) पूर्वोत्तर राज्यों सहित 28 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया है। एनएफएसएनएम का उद्देश्य क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करना है। इस योजना के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से किसानों को फसल उत्पादन और सुरक्षा प्रौद्योगिकियों, फसल प्रणाली आधारित प्रदर्शनों, नई जारी किस्मों/संकर किस्मों के प्रमाणित बीजों के वितरण, एकीकृत पोषक तत्व और कीट प्रबंधन तकनीकों, उन्नत कृषि उपकरणों/टूल्स/संसाधन संरक्षण मशीनरी, जल बचत उपकरणों, फसल सीजन के दौरान प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों के क्षमता वर्धन पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान एनएफएसएनएम के तहत आवंटित और जारी किए गए फंड का विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	**रिलीज**
2022-23	24.03
2023-24	34.49
2024-25	37.71

स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है, जिसमें राज्यों को आवश्यकता, प्राथमिकताओं और कृषि-जलवायु आवश्यकताओं के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के चयन, आयोजन, अनुमोदन और निष्पादन के लिए लचीलापन और स्वायत्तता प्रदान की गई है। राज्य सरकार को सहायता अनुदान के रूप में फंड संबंधित राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक (एसएलएससी) द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं के आधार पर जारी किए जाते हैं। तत्पश्चात्, भारत सरकार, एसएलएससी द्वारा विधिवत संस्तुत तथा योजनाबद्ध दिशानिर्देशों के मानदंडों को पूरा करने वाली परियोजना को अनुमोदित करती है। यह राज्य सरकार का दायित्व है कि वह कृषि एवं संबद्ध सेक्टरों के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार राज्य में इस योजना को लागू करे।

वर्ष 2015-16 से आरकेवीवाई का वित्त पोषण पैटर्न केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 हो गया जिसमें पहले 100 प्रतिशत केंद्रीय हिस्सा था। जबकि यह अनुपात मध्य एवं पूर्वोत्तर तथा 3

हिमालयी राज्यों के बीच 90:10 हो गया। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए इसमें 100 प्रतिशत केंद्र की हिस्सेदारी है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, आरकेवीवाई के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को आवंटित और जारी किए गए फंड का विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	रिलीज
2022-23	574.00
2023-24	947.95
2024-25	750.31

वित्त वर्ष 2022-23 से 2024-25 के लिए पीएम-आरकेवीवाई के सभी घटक (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)+वार्षिक कार्य योजना (एएपी) घटक), स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय समय-समय पर राज्यों एवं बीज उत्पादक एजेंसियों को सलाह देता है कि वे आईसीएआर संस्थानों/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू) आदि द्वारा विकसित विभिन्न फसलों की तनाव सहिष्णु/जलवायु अनुकूल/स्मार्ट किस्मों (जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से अधिक प्रभावी तरीके से निपटने के लिए) सहित नई जारी की गई उच्च उपज वाली किस्मों (एचवाईवी), तनाव सहिष्णु किस्मों (सूखा, बाढ़ और लवणता) के प्रजनक बीज इंडेंट को आधार और प्रमाणित बीजों में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए रखें ताकि कृषि उत्पादन, उत्पादकता बढ़ाने और देश में किसानों की लाभप्रदता में मदद करने के लिए किसानों को इन फसलों की किस्मों के अपेक्षित बीज उपलब्ध कराए जा सकें।

भारत सरकार छोटे और सीमांत किसानों और उन क्षेत्रों तक जहां फार्म पावर की उपलब्धता कम है, कृषि मशीनीकरण की पहुंच बढ़ाने के विशिष्ट उद्देश्य के साथ मशीनीकरण को बढ़ावा दे रही है। इसका उद्देश्य छोटी भूमि जोत और व्यक्तिगत स्वामित्व की उच्च लागत के कारण उत्पन्न होने वाली प्रतिकूल अर्थव्यवस्थाओं की भरपाई के लिए 'कस्टम हायरिंग सेंटरों' को बढ़ावा देना भी है। इस संबंध में, वर्ष 2014-15 से पूर्वोत्तर राज्यों सहित राज्य सरकारों के माध्यम से एक केंद्रीय प्रायोजित योजना 'कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन' (एसएमएएम) कार्यान्वित की जा रही है। एसएमएएम के अंतर्गत, किसानों को व्यक्तिगत स्वामित्व के आधार पर ट्रैक्टरों सहित कृषि मशीनों और उपकरणों की खरीद के लिए और कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी)/हाई टेक हब/फार्म मशीनरी बैंक (एफएमबी) की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) भारतीय कृषि को बदलती जलवायु के प्रति अधिक अनुकूल बनाने के लिए कार्यनीतियां लागू करता है। एनएमएसए के तहत कई योजनाएं कृषि में प्रतिकूल जलवायु स्थितियों का समाधान करती हैं। प्रति बूंद अधिक फसल योजना सूक्ष्म सिंचाई

प्रौद्योगिकियों अर्थात ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाती है। वर्षा-सिंचित क्षेत्र विकास योजना उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तनशीलता संबंधी जोखिमों को कम करने के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफएस) को बढ़ावा देती है। राज्य सरकारों के माध्यम से राष्ट्रीय सॉइल हेल्थ और उर्वरता प्रबंधन परियोजना के तहत सॉइल हेल्थ कार्ड (एसएचसी)/ सॉइल हेल्थ प्रबंधन (एसएचएम) योजना संचालित की जाती है। एसएचसी किसानों को उनकी मिट्टी की पोषक स्थिति के संबंध में जानकारी प्रदान करता है और सॉइल हेल्थ एवं उर्वरता में सुधार के लिए पोषक तत्वों की उचित मात्रा की सिफारिश करता है। समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), कृषि वानिकी और राष्ट्रीय बांस मिशन भी कृषि में जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन को बढ़ावा देते हैं।

इसके अलावा, धान की उत्पादकता बढ़ाने के लिए, भाकृअनुप-केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई), कटक द्वारा क्षेत्र विस्तार के तहत असम राज्य के लिए पांच किस्मों (सीआर धान-307, सीआर धान-310, सीआर धान-311, सीआर धान-801 और सीआर धान-802) विकसित और जारी की गई हैं और राज्य बीज एजेंसियों को प्रजनक बीजों की आपूर्ति की गई है, जिससे किसानों को प्रमाणित और ट्रूथफुल-लेबल वाले (टीएल) बीजों का उत्पादन तथा वितरण किया जा सके। वर्ष 2024 में, स्थानीय जोहा और बोरा चावल के साथ-साथ आठ उन्नत किस्मों के कुल 10,000 किलोग्राम टीएल बीज कई जिलों में 600 से अधिक किसानों को वितरित किए गए। इन बीजों को अपनाने में तेजी लाने के लिए, लखीमपुर, धेमाजी, कामरूप, नलबाड़ी और गोलपारा जिलों में फ्रंट लाइन प्रदर्शन (एफएलडी) आयोजित किए गए, जिसमें जलवायु-स्मार्ट किस्मों (सीआर धान 801 और 802), बायो-फोर्टिफाइड लाइनों (सीआर धान 310 और 311), सुगंधित सीआर धान 909 और उच्च उपज वाली सीआर धान 307 का प्रदर्शन किया गया। इन प्रयासों के साथ जागरूकता कार्यक्रमों, फील्ड दिवसों और किसान-वैज्ञानिक संवाद का आयोजन किया गया था, जिससे बेहतर फसल प्रबंधन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन के साथ-साथ उच्च उपज, जलवायु-अनुकूल और पोषण संवर्धित किस्मों का प्रभावी प्रसार सुनिश्चित किया जा सके। कम उत्पादकता वाले पूर्वोत्तर राज्यों में चावल की पैदावार बढ़ाने के लिए नियोजित प्रयासों के तहत चावल की किस्मों को अपनाने, बीज वितरण प्रणालियों में सुधार करने, फसल प्रबंधन के आधुनिकीकरण, सहायता का विस्तार करने आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इन प्रयासों का उद्देश्य सामूहिक रूप से पूर्वोत्तर में चावल की खेती करने वाले समुदायों में उत्पादकता, अनुकूलता और आय के स्तर में सुधार करना है।

अनुबंध

वर्ष 2024-25 के लिए प्रमुख कृषि फसलों की राज्यवार उत्पादकता

राज्य	उत्पादकता (किग्रा/हेक्टेयर)						
	चावल	गेहूँ	मक्का	तुअर	चना	उड़द	मूँग
आंध्र प्रदेश	3928		6510	475	1063	1225	907
अरुणाचल प्रदेश	1856	1975	1583	893		963	1044
असम	2225	1349	4743	865	877	675	829
बिहार	2561	3145	6101	1558	1045	979	595
छत्तीसगढ़	2655	1599	3241	595	1018	370	378
गुजरात	2410	3017	1858	1162	1841	787	923
हरियाणा	3766	4774	3716	1180	1688	529	912
हिमाचल प्रदेश	2080	2120	2650	869	1020	710	490
झारखंड	1894	2201	2418	1177	1173	879	834
कर्नाटक	3344	1255	3234	572	597	587	427
केरल	2923		3117	1533		722	814
मध्य प्रदेश	2345	3163	2884	842	1558	722	1189
महाराष्ट्र	2299	1922	2922	1160	1031	833	640
मणिपुर	2465	2320	2216	1210	1200	1100	800
मेघालय	2592	1790	2265	1305	1078		
मिजोरम	1709		1893	680			
नागालैंड	1736	1840	2008	946	845	826	1129
ओडिशा	2485	1796	3071	1566	855	431	479
पंजाब	4428	5123	4303	1261	1188	580	890
राजस्थान	2593	3559	2658	903	1215	365	516
सिक्किम	1242	1160	1793			945	
तमिलनाडु	3288		5487	677	926	465	290
तेलंगाना	3627	1973	5860	934	1762	1462	705
त्रिपुरा	3185	2172	2118	823	779	796	726
उत्तर प्रदेश	2824	3714	2880	1238	1354	704	851
उत्तराखंड	2710	3310	2743	1178	845	918	837
पश्चिम बंगाल	2865	3130	6999	1800	1240	742	875
भारत (कुल)	**2929**	**3595**	**3590**	**836**	**1218**	**710**	**719**

वर्ष 2024-25 के लिए प्रमुख कृषि फसलों की राज्यवार उत्पादकता

राज्य	उत्पादकता (किग्रा/हेक्टेयर)					
	मूँगफली	सोयाबीन	रेपसीड और सरसों	गन्ना	कपास	जूट
आंध्र प्रदेश	1151	1321	705	90242	476	
अरुणाचल प्रदेश	941	1423	1045	21563		
असम			788	42336	79	2151
बिहार	1133	812	1204	63091		2576
छत्तीसगढ़	1112	904	441	55930	302	
गुजरात	2657	1523	1871	72651	513	
हरियाणा	1066		2146	81382	502	
हिमाचल प्रदेश	950	790	810	15440		
झारखंड	1219	1187	883	75130		2731
कर्नाटक	961	1294		89000	570	
केरल	1497		987	83360	1495	
मध्य प्रदेश	2207	917	1322	57090	486	
महाराष्ट्र	1448	1453	403	94230	304	
मणिपुर	1100	820	960	48690		
मेघालय		1929	940	3017	144	1581
मिजोरम		1176	1420	27110		
नागालैंड	1050	1262	1102	43280	600	1905
ओडिशा	2096		342	51338	586	2806
पंजाब	1710		1766	82050	439	
राजस्थान	2024	1089	1552	79977	484	
सिक्किम			870			
तमिलनाडु	2439	1130	235	102000	350	
तेलंगाना	2106	1884	799	93064	543	
त्रिपुरा	1475		897	56404	272	1619
उत्तर प्रदेश	1100	967	1474	81165	336	
उत्तराखंड	1505	1454	1055	84659		
पश्चिम बंगाल	3045	750	1250	66580	850	2948
भारत (कुल)	**2073**	**1179**	**1463**	**83416**	**440**	**2807**

*****